कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

NON-TSP

।। कार्यालय–आदेश ।।

राजस्थान अधिनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के प्रावधानुसार गठित विभागीय चयन समिति द्वारा पृष्ठाकिंत सूची अनुसार तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापकों को वर्श **2017–18** की रिक्तियों के विरूद्ध **वरिष्ठ अध्यापक–गणित** (द्वितीय वेतन श्रंखला अध्यापक) (पे बेण्ड 9300-34800 ग्रेड पे–4200) के पद पर पदोन्नति हेतु चयन किये जाने से इन्हे वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नत किया जाकर पदस्थापन स्थान उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में किया जाता है।

इन्है दिनांक **06-11-2017** तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। **निर्धारित तिथि तक कार्यग्रहण नहीं करने पर इनका स्वतः पदोन्नति परित्याग माना जावेगा।** इनका पदोन्नति पर वेतन राजस्थान सेवा नियम 26 "ए" के प्रावधानानुसार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों की पालना में नियमानुसार निर्धारित किया जावें। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ–7 (1)कार्मिक / क–2/95 दिनांक 20-06-01 एवं 08-04-03 के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्य कर्मी जिनके दिनांक 01-06-02 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पत्ति से दो से अधिक संतान हा तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होगें। अतः संस्थाप्रधान कार्यमुक्ति से पूर्व इस आ ाय की घोशणा प्राप्त करेंगें कि इनके 01.06.2002 को अथवा उसके प चात सन्तानोत्पत्ति से सन्तानों की कुल संख्या दो से अधिक नहीं हुई है। अन्यथा संबंधित संस्थाप्रधान राज्य सरकार की अधिसूचना के उल्लघंन के लिए व्यक्तिशः उत्तरदायी होगें। साथ ही यदि किसी कार्मिक के वर्तमान में निलम्बन अथवा सीसीए 16 ,17 के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही विचाराधीन हो तो ऐसे कार्मिक को पदोन्नति पर कार्यमुक्त न करें एवं सम्पूर्ण वस्तुस्थिति से अविलम्ब निम्न हस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें। **संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति पर कार्यग्रहण करने हेतु यथा समय कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को स्वीकृति हेतु दिनांक 10.11.2017 तक अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवापुस्तिका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।** पदोन्नति सूची मे ऐसे कोई शिक्षक जो पूर्व में ही वरिष्ठ अध्यापक या उच्च पद पर अथवा विभाग मे कार्यरत नही हो तो उनकी सूचना भी मण्डल कार्यालय एवं जिला शिक्षा अधिकारी को भिजावे। वर्तमान पदस्थापन स्थान परिवर्तन की स्थिति मे उक्त आदेश संबंधित संस्था प्रधान को वाहक स्तर पर भिजवाया जावे। पदोन्नति परित्याग की स्थिति मे चयनित वेतनमान के संबंध मे राज्य सरकार के प्रचलित आदेशानुरूप कार्यवाही की जावेगी।

संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे इन कार्मिको की पदोन्नति पर कार्यमुक्ति / कार्यग्रहण एवं परित्याग की समेकित सूचना कार्यग्रहण दिनांक के एक सप्ताह के अंदर मण्डल कार्यालय को वाहक स्तर पर उपलब्ध करावेगे। यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण मूल जिले से अन्य जिले में हो गया है तो आदेश प्रभावी नहीं होगा। संबंधित संस्था प्रधान राउमावि / रामावि इन पदोन्नत अध्यापकों को इनके नाम के सम्मुख विषय के रिक्त पद पर ही कार्यग्रहण करावें। **"पदोन्नत शिक्षकों के पदोन्नति / पदस्थापन आदेश माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न याचिकाओं में प्रदत अन्तरिम आदेश व अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगें।"**

संबंधित संस्थाप्रधान पदोन्नत कार्मिको के विषय का प्रमाणीकरण स्नातक की मूल अंकतालिका से करते हुऐ शाला दर्पण अनुसार कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण करावें। अन्यथा स्थिति में कार्यमुक्त / कार्यग्रहण नहीं कराते हुए इस कार्यालय को रजिस्टर्ड डाक से एवं ई–मेल पर तुरन्त सूचित करेंगें।

(भरत मेहता)
शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर
दिनांक **27.10.2017**

क्रमांकः–शिउनि–मा / उदय / संस्था–ब / फा–1081–85 / 2017–18 / **704**
प्रतिलिपी–सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
3. शिक्षा उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर मण्डल, उदयपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा,.............................
5. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पं.स.............................
6. संबंधित संस्था प्रधान, राउमावि / रामावि.............................
7. संबंधित कार्मिक / व्यक्तिगत पंजिका
8. वरिष्ठता / संस्था–स अनुभाग, कार्यालय हाजा
9. गार्ड पत्रावली

शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर

कार्यालय शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक) उदयपुर मण्डल, उदयपुर

क्रमांकः–शिउनि–मा/उदय/संस्था–ब/फा–1081–85/2017–18/ **704** दिनांक 27.10.2017

NON-TSP विषय–गणित

क्र. सं.	वरिष्ठता क्रमांक	वरिष्ठता वर्ष	नाम कार्मिक मय पदस्थापन स्थान श्री/श्रीमती	वर्ग	जन्म तिथि	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान	
						राउमावि/मावि	जिला
1	1553	1971-2011	नारायण लाल कुमावत/खेमराज राउप्रावि केरोट, राजसमन्द		15-06-69	आगरिया (आमेट)	राजसमन्द
2	2029	1971-2011	विनोद कुमार जैन/केवल चन्द जैन राउमावि झरझनी–भैंसरोडगढ़, चितौडगढ		22-02-72	पाल (चितौडगढ)	चितौडगढ
3	2432	1971-2011	राकेश पोखरना/छोगा लाल रामावि टुस डांगियान–भीण्डर, उदयपुर		25-06-70	मादा (गोगुन्दा)	उदयपुर
4	3509	1971-2011	निर्मल नाहर राउप्रावि डुलावतों का गुडा, उदयपुर		06-04-67	नाल (गोगुन्दा)	उदयपुर
5	4636	1971-2011	रश्मी शर्मा/रमेश चन्द्र शर्मा राउमावि वल्लभनगर, उदयपुर		27-11-78	सुलावास (कुराबड)	उदयपुर
6	5039	1971-2011	वन्दना व्यास/विष्णु शंकर व्यास राउमावि बानसेन–भदेसर, चितौडगढ		02-09-80	बामनिया (चितौडगढ)	चितौडगढ
7	5171	1971-2011	नरपत सिंह चोहान/बाघसिंह रामावि मोगाना–खमनोर, राजसमन्द		16-05-80	बडाभानुजा (खमनोर)	राजसमन्द
8	6884	1971-2011	अरविन्द जैन/इन्द्र विजय राउप्रावि बरखेडा–छोटी सादडी, प्रतापगढ		23-01-82	धोलापानी (छोटीसादडी)	प्रतापगढ

(भरत मेहता)
शिक्षा उपनिदेशक (माध्यमिक)
उदयपुर मण्डल, उदयपुर